तत्काल

सं0 55/1/1/74 - सी0एफ0
भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय ।
मंत्रिमंडल कार्य विभाग

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1974
17 श्रावण, 1896

राष्ट्रपति ने निदेश दिया है कि तुरन्त ही---

(क) श्री शाह नवाज खाँ को, मंत्री के रूप में अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग से संबंधित कार्य की निम्नलिखित मदों का उत्तरदायित्व भी सौंप दिया जायगा, जो कि भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में दी गयी है, अर्थात् ---

प्रविष्टि 16 - वक्फ अधिनियम, 1954.

प्रविष्टि 17 - निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के अधीन वक्फ सम्पत्तियों की बाबत कार्य ।

प्रविष्टि 18 - दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 का प्रशासन ।

(ख) श्री एफ0एच0 मोहसिन, उप मंत्री के रूप में अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री शाह नवाज खाँ की उपर्युक्त कार्यों में सहायता करेंगे ।

के रामय्या 8 8 74

(के0 रामय्या)
कृते मंत्रिमंडल सचिव

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य ।

क्यायाच

--- 2/-

प्रति योजना आयोग के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

- - - - -

प्रति निम्नलिखित को प्रेषितः-

प्रधान मंत्री के सचिव

प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव

प्रधान मंत्री के निजी सचिव

- - - - -

प्रति निम्नलिखित को प्रेषितः-

राष्ट्रपति के सचिव

उपराष्ट्रपति के सचिव

के रामय्या 8.8.74

(के० रामय्या)

अवर सचिव, मंत्रिमंडल

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

भारत सरकार के सभी सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/ अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड/ सचिव, निर्वाचन आयोग / अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग / भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक / महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व का कार्यालय (श्री आर०पी० अग्रवाल, लेखा अधिकारी) ।

प्रति सूचनार्थ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों /विभागों /

* दो अतिरिक्त प्रतियों सहित — लोक सभा सचिवालय / राज्य सभा सचिवालय / *स्थापना अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशासनीय सुधार विभाग को प्रेषित ।

के रामय्या 8.8.74

(के० रामय्या)

अवर सचिव, मंत्रिमंडल

यादव